

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतिव

Devender Kumar*

Research Scholar, VPO-PUR, Bhiwani

सारांश – किसी भी महान् व्यक्ति के जीवन और उद्देश्य की व्याख्या करना बहुत ही कठिन कार्य है। उसके कार्यों, उपलब्धियों, निराशाओं, खुशियों एवं कष्टों की विवेचना करना आसान कार्य नहीं है। डॉ. अम्बेडकर भी इन्हीं महान् व्यक्तियों में से एक हैं। आधुनिक भारत का निर्माण करने वालों में उनका प्रमुख स्थान है। वे आधुनिक भारत के असाधारण विद्वान, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री और वक्ता थे। इन सभी क्षेत्रों में उनके योगदान के अलावा उन्होंने समाज में अपेक्षित दलित वर्ग के लिए जो कार्य किए उसके लिए वे दलितों के 'मसीहा' बन गये।

X

प्रस्तावना

डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश की महु छावनी में एक दलित महार परिवार में हुआ।

'महार' जाती को समाज में अछुत माना जाता था। डॉ. अम्बेडकर के पूर्वजों का गांव अम्बाबड़े था, जो रत्नगिरि जिसमें स्थित मन्दनगढ़ शहर से पाँच मील दूर था।

उनके दादा जी मालोजी सकपाल अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी थे। डॉ. अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाभाई था।

उनके जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल रखा। घर वाले उन्हें प्यार से 'भीवा' कहकर बुलाते थे। जब भीमराव 6 वर्ष के थे उनकी माता जी का देहान्त हो गया। वह स्वभाव से बहुत नेक स्त्री थी। उनकी मृत्यु से समस्त परिवार को गहरा आघात लगा। भीमराव बचपन से ही माता के लाड़-प्यार से वंचित रह गये। वे अपने पिछे तीन पुत्र और दो पुत्रियाँ छोड़ गईं। भीमराव के दो भाई थे बलराम और आनंदराव! तुलसी और मंजुला उसकी दो बहनें थीं।

भीमराव के पिता जी फौज में नौकरी करते थे। वे दुसरी ग्रंठोडियर रेजीमेन्ट में मेजर थे। उन्हें यह पद फौजी स्कूल के हैडमास्टर होने के कारण प्राप्त हुआ था। वह बहुत संयमी और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के साथ-साथ उनका अध्यात्मिक विकास भी चाहते थे। इसलिए वह उन्हें धार्मिक गीत और धार्मिक कहानियाँ सुनाया करते थे। फलतः भीमराव के मन पर धार्मिक शिक्षा के संस्कारों की गहरी छाप थी भीमराव का परिवार कबीर पंथी था।

आनन्दराव तथा भीमराव को सतारा के कैम्प स्कूल में भर्ती करवाया गया। इसी बीच रामजी राव सकपाल का तबादला सतारा से गोरे गांव हो गया। रामजीराव सकपाल अकेले ही गोरेगांव चले गए।

जब सन् 1900 ई. में भीमराव का सतारा के हाई स्कूल में प्रथम कक्षा में दाखिला किया गया, तब स्कूल में उनका नाम 'भीमराव रामजी अम्बेडकर' लिखा गया। भीमराव को पढ़ाने अम्बेडकर उपनाम के एक ब्राह्मण अध्यापक थे। वह भीमराव से स्नेह करते थे। एक दिन उन्होंने कहा भीम! यह तेरा उपनाम अम्बावडेकर बोलने में बहुत कठिन है। मेरा अम्बेडकर उपनाम इससे अच्छा है। तेरा भी आज से यही उपनाम है। इस तरह भीमराव अम्बावडेकर से अम्बेडकर बन गए।

अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वे जून 1916 में लन्दन के लिए रवाना हुए। वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए 'ग्रेजुइन्स' तथा अर्थशास्त्र के अध्यापक के लिए 'लन्दन स्कूल आफ इकनामिक्स एण्ड पालिटिकल साइंस' में प्रवेश लिया।

इसके बाद उन्होंने बैरिस्टर-एट-ला तथा एम.एस.सी. (अर्थशास्त्र) की उपाधियों को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने एम.ए., एम.एस.सी., पीएच.डी., डी.एस.सी. व बार-एट-लों की उपाधियाँ प्राप्त की।

डॉ. अम्बेडकर ने अपना कैरियर प्रोफेसर के रूप में शुरू किया। वे बम्बई गवर्नमेन्ट लॉ कालेज के प्रोफेसर रहे। परन्तु उनकी अधिक रुचि दलितोंद्वारा में थी। अर्थात् वे पद दलित एवं निम्न वर्गीय लोगों के उद्धार के लिए कार्य करना चाहते थे। परन्तु वे सरकारी नौकरी में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने जून 1924 में नौकरी छोड़कर बम्बई उच्च न्यायलय में वकालत शुरू कर दी।

डॉ. अम्बेडकर ने दलितोंद्वारा आन्दोलन का आरम्भ 20 जुलाई 1924 को 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना से किया।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा चलाए गए दलित आन्दोलनों में 'महाड सत्याग्रह' का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉ. अम्बेडकर और उनके साथियों ने पूना में चवदार तालाब पर पहुँचकर पानी पिया। इस पर सर्वण हिन्दू उन पर लाठियाँ लेकर टूट पड़े कि उन्होंने तालाब के पानी को अपवित्र कर दिया। सर्वर्णों ने तालाब को 'शुद्ध' करने के लिए उसमें गोबर, गोमूत्र, दुध और

दही को डाला। डॉ. अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाड़ में 15 हजार अछूतों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे ज्ञान अर्जित करें और सम्मान से जियें, ऊँच-नीच का भेद मिटाये तथा मुर्दा जानवरों को खाना छोड़ दें।

25 दिसम्बर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया क्योंकि इसमें अछूतों व शुद्रों की निंदा की गई है। दूसरा सत्याग्रह कालाराम मन्दिर में प्रवेश हेतु 1930 में किया गया 'नासिक सत्याग्रह' था। 1931 में डॉ. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुँचे उन्होंने परिषद् में अछूतों को समानता का दर्जा देने की बात उठाई।

उन्होंने मांग की कि रियासतों के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाए ना कि मनमोहित हो। इसमें अछूतों को वोट देने व स्थान सुरक्षित करने की बात उठाई गई।

उन्होंने दलित समस्या की आजादी के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखी गई पृथक निर्वाचन मण्डल की मांग का विरोध किया। बाद में भारत आकर उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया। जब प्रधानमंत्री रेम्जे मेकडोनाल्ड ने अछूतों को 1932 में 71 पृथक निर्वाचन मण्डल प्रधान कर दिए तो गांधी जी सचमुच अनशन पर बैठ गए। डॉ. अम्बेडकर को गांधी जी की जान बचाने के लिए झुकना पड़ा और इस प्रकार पूना पैक्ट (24 सितम्बर 1932) पर सहमत होना पड़ा। इस प्रकार समझौते के अनुसार अछूतों को 71 पृथक सीटों की बताए 148 सुरक्षित स्थान मिले।

1935 में डॉ. अम्बेडकर के साथ एक दुःखद घटना घटी 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहान्त हो गया।

उन्हें बड़ा आघात लगा 13 अक्टूबर 1935 को येवला में एक दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 10 हजार लोग उपस्थित थे। इस सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने प्रभावशाली भाषण दिया। समाज में अछूतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उनका इन्होंने हृदयस्पर्शी वर्णन किया। उन्होंने अछूतों की दृढ़ता के लिए हिन्दू धर्म को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा 'मैं हिन्दू धर्म में मरूंगा नहीं...सभी अछूत हिन्दू धर्म को छोड़कर ऐसा धर्म अपनाए जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानता हो।

परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ. अम्बेडकर ने यहाँ मात्र धर्म परिवर्तित करने की धमकी दी थी और धर्म परिवर्तित किया नहीं था वास्तव में वे स्वर्ण हिन्दुओं को झकझोरना चाहते थे कि वे अपना रवैया बदलें और अछूतों के साथ भेदभाव करना बंद करें। परन्तु उनकी धमकी को ज्यादातर लोगों ने गम्भीरता से नहीं लिया और इसके गलत अर्थ निकाले।

डॉ. अम्बेडकर को 1942ई. को वायसराय लार्ड लिनलिथगो की एकजीक्युजीटव कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया और डॉ. अम्बेडकर को श्रम विभाग सौंपा गया। इस पद पर डॉ. अम्बेडकर 3 वर्ष 11 माह 9 दिन तक रहे अर्थात् वे 1942 ई. से जुलाई 1946 ई. तक इस पद पर रहे।

9 सितम्बर 1945 ई. को डॉ. अम्बेडकर ने 'प्लेनरी लेबर परिषद्' के सामने औद्योगिकरण पर भाषण देते हुए कहा था कि 'पूँजीवादी संसदीय प्रजातन्त्र व्यवस्था में दो बातें आवश्यक होती

हैं। जो काम करते हैं, उन्हें गरीबी में रहना पड़ता है तथा जो काम नहीं करते उनके पास अमापनिय पूँजी होती है।

डॉ. अम्बेडकर ने 4 जून 1944ई. को अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वे 'यूनिसिपल कामगार यूनियन' नाम से अपना संगठन बनाए तथा अपना अध्यक्ष चुने। उस यूनियन के प्रथम अध्यक्ष 'रमेश जाधव' बने, जो नासिक के निवासी थे तथा लोक निर्माण विभाग में ठेकेदार थे।

डॉ. अम्बेडकर जब श्रम मंत्री थे तो लोक निर्माण विभाग भी उन्हीं के पास था, तब उन्होंने आदेश जारी किया, जिससे कोई भी ठेकेदार 500रुपये की जमानती रकम देने पर हजारों रुपये के ठेके ले सकता था। डॉ. अम्बेडकर के इस आदेश से दलित वर्ग के लोग छोटे-मोटे ठेकेदार बन गए।

डॉ. अम्बेडकर 7 जुलाई 1946ई. को संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल विधान सभा द्वारा चुने गए।

9 दिसम्बर 1946ई. को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तथा 15 दिसम्बर 1946ई. को संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर का भाषण हुआ। उनके भाषण ने संविधान सभा के सभी सदस्यों को प्रभावित किया। मार्च 1947 में डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा के विचार के लिए एक ज्ञापन तैयार किया। यह ज्ञापन बाद में 'स्टेट्स एण्ड माइनार्टीज' के नाम से प्रकाशित हुआ।

इसमें कहा गया था कि दलितों को केवल उन क्षेत्रों में जिसमें सीट सुरक्षित है, पृथक चुनाव का अधिकार मिलना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों में दलित संयुक्त चुनाव में शामिल होंगे।

29 अप्रैल 1947ई. को संविधान सभा ने घोषणा की कि छुआछूत को खत्म किया जाए तथा यह भी कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव की भावना पाई गई तो कानूनी अपराध माना जाएगा।

3 जून 1947ई. में वायसराय लार्ड माउंटबैटन ने भारत की स्वतन्त्रता के बारे में अपनी योजना प्रकाशित की। इस योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 ई. को भारत आजाद हुआ।

29 अगस्त 1947 ई. को डॉ. अम्बेडकर संविधान की प्रारूप-समिति के अध्यक्ष चुने गए। 26 नवम्बर 1949 ई. को संविधान पास कर दिया गया।

उन्होंने 8 सुचियां और 315 धाराओं वाला संविधान तैयार किया। मन्दिर प्रवेश का हक डॉ. अम्बेडकर ने अछूतों को कानून द्वारा दिलाया, जिसके लिए वे पन्द्रह वर्ष से संघर्ष कर रहे थे। अतः 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।

डॉ. अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1948ई. को डॉ. शरदा कबीर (सविता) जो जाति से सारस्वत थी, से सिविल मैरिज ऐक्ट के अनुसार विवाह किया। दिल्ली के डिप्टी कमीशनर श्री रामेश्वर दयाल, रजिस्ट्रार के रूप में शादी में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात् डॉ. शरदा कबीर का नाम डॉ. सविता रखा गया।

संविधान पास होने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने अपना ध्यान हिन्दू कोड बिल पर केन्द्रित किया 5 फरवरी 1951 को डॉ. अम्बेडकर

ने संसद में हिन्दू कोड़ बिल पेश किया। बिल का लक्ष्य हिन्दू समाज के मुल ढांचे को बदलना और उसे उद्धार बनाना था, जिससे कि वह आधुनिक युग के अनुकूल हो सके। इस बिल को पास कराने में कांग्रेसी सदस्यों ने सहायता नहीं की इसका विरोध किया, जिस कारण डॉ. अम्बेडकर ने निराश होकर 27 सितम्बर 1951 को मंत्रीमंडल से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वे 11 अक्टूबर 1951 ई. तक अपने पद पर ही कार्य करते रहे।

डॉ. अम्बेडकर मार्च 1952 ई. में बम्बई की और से राज्य सभा के सदस्य चुने गए। मई 1954 में जब नागपुर से लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए तब इसमें डॉ. अम्बेडकर हार गए।

डॉ. अम्बेडकर ने 1945 ई. में 'पिपल्स एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना की थी, जिसने 1 सितम्बर 1950 को मिलिंद महाविद्यालय, औरंगाबाद तथा 1953 ई. में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स, बम्बई की स्थापना की।

सोलह वर्ष पहले डॉ. अम्बेडकर ने अंग्रेजी में 'बुद्धा एण्ड हिज धम्मा' नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया था। लिखना शुरू करते थे लेकिन सन्तोष नहीं होता था काट देते थे, फिल लिखते, फिर काट देते थे बीच में डॉ. अम्बेडकर के कई ग्रन्थ प्रकाशित हुए, लेकिन बुद्धा एण्ड हिज धम्मा की पांडूलिपि में कांट छांट ही होती रही। आखिर ग्रंथ पूरा हुआ।

बुधवार 5 दिसम्बर 1956 ई. को रात में बुद्धा एण्ड हिज धम्मा की भूमिका लिखकर पूर्ण करने के बाद डॉ. अम्बेडकर सुख की नींद सो गए।

गुरुवार 6 दिसम्बर 1956 ई. को सुबह पता चला कि डॉ. अम्बेडकर को निद्रावस्था में ही देहान्त हो गया।

डॉ. अम्बेडकर का पार्थिव शरीर दिल्ली से बम्बई ले जाया गया शुक्रवार 7 दिसम्बर 1956 ई. को दोपहर को दो बजे डॉ. अम्बेडकर महापरिनिर्वाण यात्रा उनके आवास राजगृह से शुरू हुई। इस महायात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। उनकी तीन मील लम्बी शव यात्रा साढ़े पांच बजे शिवाजी पार्क को चौपाटी पर पहुँची 7 बजकर 20 मिनट पर डॉ. अम्बेडकर के एकमात्र पुत्र यशवन्त राव अम्बेडकर ने अग्नि-संस्कार किया। उनकी मृत्यु के बाद एक वर्ष में लगभग 25 लाख दलित लोग बौद्ध हो गए।

संदर्भ ग्रंथ

धनजय कीर, डॉ. अम्बेडकर : लाईफ एण्ड मिशन, पृ. 8

विश्व प्रकाश गुप्त व मोहिनी गुप्ता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति और विचार, पृ. 36

डी.सी. डीन्कर, डॉ. अम्बेडकर स्मृति ग्रंथ, पृ. 13

वसन्त मुन, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, पृ. 2

डी.आर. जाटव, डॉ. अम्बेडकर का नैतिक दर्शन, पृ. 2

डी.आर. निम, अम्बेडकर जीवन दर्शन, पृ. 13

डी.सी. डीन्कर, पूर्व उद्धृत, पृ. 13-20

डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यापन, यदि बाका न होते, पृ. 6

डब्ल्यू. एन. कुबेर, आधुनिक भारत के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, पृ. 8

डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यापन, पूर्व उद्धृत, पृ. 7

धनजय कीर पूर्व उद्धृत, पृ. 31-32

विश्व प्रकाश गुप्त मोहिनी गुप्त, पूर्व उद्धृत, पृ. 185

बी.आर. सांपला, बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, पृ. 68

विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्ता, पूर्व उद्धृत, पृ. 61

विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्ता, पूर्व उद्धृत, पृ. 187

राजमल सिंह राज, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, पृ. 76

डॉ. राजेन्द्र मोहन भटनागर, डॉ. अम्बेडकर चिन्त और विचार, पृ. 106

विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्ता, पूर्व उद्धृत, पृ. 187

Corresponding Author

Devender Kumar*

Research Scholar, VPO-PUR, Bhiwani

E-Mail – kdevender701@gmail.com